

पुस्तक
आदि के हस्तारण
के लिए अधिकारी
के कार्यालय

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा {म०प्र०}

13 JAN 2012

कमिश्नर



R-151-III/2012

श्री सुखवदन सिंह तनय श्री चन्द्रशेखर सिंह, निवासी- हाटी, हाल निवास- भरहुत नगर सतना, तहो रघुराजनगर, जिलासतना {म०प्र०}

.... निगराकार/अभ्यावेदन कर्ता

विरुद्ध

1. श्री शिवधर सिंह तनय श्री भारत सिंह ,
 2. अ- ऋतुराज सिंह तनय स्व० फूलदेव सिंह ,
 - ब. सुधा सिंह पुत्री स्व० श्री फूलदेव सिंह,
 - स. मुस० सतीला सिंह पत्नी स्व० श्री फूलदेव सिंह ,
 3. श्रीमती मतीला सिंह पत्नी स्व० श्री तिलकराज सिंह,
 4. श्री देवराज सिंह तनय श्री चन्द्रशेखर सिंह,
 5. श्री सूर्यबली सिंह तनय श्री राजभान सिंह,
 6. श्री राममनोहर सिंह तनय स्व० श्री गया सिंह,
 7. अ- बूटा देवी पुत्री स्व० श्री जगतबहादुर सिंह,
 - ब- आशा सिंह पुत्री स्व० श्री जगत बहादुर सिंह,
 - स- सरोज सिंह पुत्री स्व० श्री जगत बहादुर सिंह,
- सभी निवासी - आमपुर जिला रायबरेली {३०प्र०}

..... गैरनिगराकार गण

निगरानी /अभ्यावेदन विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सतना {म०प्र०} के प्रकरण क्रमांक- 288230/निगरानी/10-11 आदेश दिनांक 9/12/11

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

श्री सुखवदन सिंह तनय श्री चन्द्रशेखर सिंह

19-1-12

34-1-12

543/131/12

श्री सुखवदन सिंह तनय श्री चन्द्रशेखर सिंह

श्री सुखवदन सिंह तनय श्री चन्द्रशेखर सिंह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणित किया गया है

13/11/2012

II

श्री सुखवदन सिंह तनय श्री चन्द्रशेखर सिंह



331

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-151-III/12

जिला-सतना

सुखनन्दन सिंह / शिवधार सिंह

(1)	(2)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रविकुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 230/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 09.12.11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>

महादय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-